

Sh. 20/11/15
21/05/15

22

सेवा में,
प्रधान निदेशक / जन सूचना अधिकारी
राष्ट्रीय राशन संस्था, कल्याणपुर कानपुर

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने के संबंध में।

सहोदय,
मिस्त्रोंन है कि प्राचीन राजीव कृष्ण सुत श्री श्याम वन्द कृष्ण ग्राम गोपीनाथ पुर का स्थायी निवासी है जिनकी संस्था में दि०-07-02-1990 से पत्रों एवं कूटे राशन वस्ताकेल बांकेल करके नौकरी प्राप्त किया है।
के संबंध में प्राचीन को जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना देखाये जाने की कृपा करें।

- 1- आरक्षण संस्था में आरक्षण अधिकार सुत सुखी याकन द्वारा कूटे राशन वस्ताकेल बांकेल करके नौकरी प्राप्त करने के संबंध में ल-बी-रात जांच अधिकारी द्वारा प्राप्त तिति को जर्ज्व रिपोर्ट प्रेषित करने का निर्देश हुआ है ?
- 2- उपरोक्त प्रकरण में जांच वगन्त काल तक चलती रहेगी का जांच को कोई समय सीमा निर्धारित की गयी है।
- 3- जन सूचना अधिकारी श्री राधेश सुखल पी. सी. एस. अधिकारी या. आर्. ए. एल. द्वीर सिंह सैद के अधिकारी है।
- 4- जन सूचना अधिकारी श्री राधेश सुखल को योग्यता क्या है ? प्रेषित तिति को उनकी नियुक्ति संस्था में हुई थी उनका निवासर का पता क्या है ?
अतः श्रीमन्को से विनम्र मिस्त्रोंन है कि उपरोक्त सूचना समयवधि के भीतर देखाये जाने की कृपा की जाय।

संलग्नक -
सूचना पत्रों हेतु 10 रुपये का मूल
पोस्टल ऑर्डर क्रमांक नं०- 2 पृष्ठ 722500
रेखांकित एवं दिनांकित

प्राचीन
Rajeev Dubey
21/05/15
राजीव कृष्ण सुत श्री श्याम वन्द कृष्ण
ग्राम- गोपीनाथपुर,
पी. जा. कल्याणपुर रो
जिला- बुलडाणपुर
दि 21.5.015



कृपया 100 डाफ्ट का
रसीद जारी करें।
21/05/15

सं. 25(52)/2015/RTI/9

राष्ट्रीय शंकरा संस्थान, कानपुर

ISO संस्थान प्रमाणित 2008-9001

उपभोक्ता मामले मंत्रालय वितरण सार्वजनिक एवं खाद्य,
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग
भारत सरकार

फोन: 0512-2570542, 543

दि. 05.06.2015

फैक्स: 0512-2570247

ई-मेल: nsikanpur@nic.in

सेवा में,

श्री राजीव दूबे सुत श्री ध्यानचंद्र दूबे,

नि. ग्राम-गोपीनाथपुर,

पो.आ.-बरुआ उत्तरी,

जनपद-सुल्तानपुर (उ.प्र.)

विषय- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने के संबंध में।

महोदय,

आपके पत्र दि. 21.05.2015 के संदर्भ में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत मांगी गई सूचना निम्नानुसार है-

बिंदु सं. 1 के संदर्भ में सूचित करना है कि मांगी गई जानकारी की दिशा में जांच चल रही है तथा अभी तक पूर्ण नहीं हुई है। अधिनियम के तहत जनसूचना अधिकारी अपने निर्णय को नियमों के अंतर्गत सूचित करता है लेकिन आपके द्वारा चाहे गये मुद्दों पर जानकारी दूसरी जांच एजेंसियों से प्राप्त होने वाली आख्याओं पर निर्भर होगी। अतः मांगी गई सूचना आज की तिथि में अनुपलब्ध मानी जाय। चूंकि जांच दूसरी जांच एजेंसियों से प्राप्त होने वाली जानकारी पर आधारित होगी इसलिए आज की तिथि में कोई भी समय-सीमा उपलब्ध नहीं है। जांच की विषय वस्तु पर सूचना देने का निर्णय जांच पूरी होने के उपरांत ही लिया जा पायेगा।

बिंदु सं. 2 के संदर्भ में यह सूचित करना है कि जांच कर रहे सक्षम अधिकारी का यह कर्तव्य नहीं होता कि ऐसी जानकारी प्राप्त करे, जिससे कि निष्कर्ष एवं अनुमान निकालने की धारणा बनाने की अथवा सूचना की विवेचना करने की अथवा आवेदक द्वारा स्थगित समस्याओं का समाधान करने की अथवा काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर देने की आवश्यकता होगी।

बिंदु सं. 3 के संदर्भ में यह सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी केंद्रीय सेवा समूह 'क' में राजपत्रित अधिकारी हैं।

बिंदु सं. 4 के संदर्भ में सूचित करना है कि अधोहस्ताक्षरी की शैक्षणिक योग्यता एम.ए., एल.एल.बी. हैं एवं संस्थान में आने की तिथि 31.12.2014 है। इसके अतिरिक्त यह भी सूचित करना है कि अधोहस्ताक्षरी के निवास का पता उनकी व्यक्तिगत जानकारी है।

अतः उपरोक्त सूचना जनसूचना अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा- 8(1)(ई),(एच) तथा (जे) के तहत देने की बाध्यता नहीं है।

आपको यह भी सूचित किया जाता है कि यदि आप दी गई उपरोक्त सूचना से संतुष्ट नहीं हैं, तो ऐसी स्थिति में आप इस पत्र को जारी करने की तिथि से 30 दिनों के भीतर प्रथम अपीलीय अधिकारी को निम्न पते पर अपील कर सकते हैं-

श्री नरेन्द्र मोहन,
निदेशक एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी,
राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, भारत सरकार,
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय,
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, कानपुर - 208017

भंडारी,
5/12/15
(राकेश शुक्ला)

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी एवं
केंद्रीय जनसूचना अधिकारी